रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21012021-224608
SG-DL-E-21012021-224608

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2021/पौष 30, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 284
No. 24] DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2021/PAUSHA 30, 1942 [N. C. T. D. No. 284

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 जनवरी, 2021

फा.स. 139/डब्लू॰एफ॰डी/सी॰ओ॰टी॰/ 19-20/8345-53.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, रिठाला चरण- II, नई दिल्ली के पुनर्वास और उन्नयन हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 16.13 हेक्टेयर क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधो से छूट प्रदान करती है।

स्थान	वृक्षों की संख्या			उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
	काटे जाने वाले	प्रत्यारोपण हेतु	योग	
(1)	(2)			(3)
अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, रिठाला चरण- II, नई दिल्ली के पुनर्वास और उन्नयन हेतु ।	5	905	910	9100
योग	5	905	910	9100

यह छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन है:-

1. दिल्ली जल बोर्ड, जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 5,18,70,000 /- रूपये (पाँच करोड़ अठारह लाख सत्तर हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधो की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	उपभोगी संस्था द्वारा 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण (910 वृक्षों को काटने/ प्रत्यारोपण किए जाने वाले वृक्षों का दस गुना) अर्थात 9100 पौधों का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, देशी कीकर, अर्जुन एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का प्रस्तावित परियोजना स्थल अर्थात बवाना डब्ल्यू॰टी॰पी॰ बूस्टर पंपिंग स्टेशन, यू॰जी॰आर॰, सेक्टर -23, रोहिणी, एस॰टी॰पी॰ सेक्टर -23, रोहिणी, दिल्ली में किया जाएगा।	9100	5,18,70,000 /-	उप– वन संरक्षक (पश्चिम) / वन अधिकारी
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा 905 वृक्षों का प्रत्यारोपण उपरोक्त 1 (क) के अनुसार किया जाएगा ।			

2. उपरोक्त 1 (क) और (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 9100 पौधो का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षो तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी ।

3. 910 वृक्षो को काटे/ प्रत्यारोपण जाने के बदले मे 1:10 के अनुपात मे स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले 9100 पौधो का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा। वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और उपभोगी संस्था द्वारा रखरखाव किया जाएगा ।

4. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

5. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिया आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यो के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।

6. अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षो का प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा और इसे तीन महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा । प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबन्धित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी । प्रत्यारोपण स्थल मे प्रत्यारोपित वृक्षो की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए।

7. वृक्षो को काटने/ प्रत्यारोपण के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षो और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है।

8. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को काटने/ प्रत्यारोपण का कार्य सभी वैधानिक मंजूरियों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा।

9. उपभोगी संस्था द्वारा 910 वृक्षो के अलावा किसी भी वृक्ष की कटाई / प्रत्यारोपण दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत एक अपराध होगा ।

10. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को काटने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते मे राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।

11. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) को दी जानी जाएगी ।

12. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को काटने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

13. उपभोगी संस्था के द्वारा पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाए।

14. उपभोगी संस्था द्वारा 88 वृक्षो को काटे/ प्रत्यारोपण जाने के बदले मे 1:10 के अनुपात मे किये गये वृक्षारोपण का सम्पूर्ण विवरण वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) को प्रस्तुत किया जाएगा।

15. उपभोगी संस्था द्वारा मायापुरी ग्रीन बेल्ट मे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भूमि के डायवर्जन के लिए 500 पौधो के वृक्षारोपण हेतु भूमि एस॰टी॰ रिठाला मे सौपी जाएगी।

16. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो की प्रत्यारोपण की प्रगति रिपोर्ट संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

17. उपभोगी संस्था के द्वारा ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 20th January, 2021

F. No. 139/WFD/COT/19-20/8345-53.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 16.13 ha. as detailed below for rehabilitation and Up- gradation of Rithala Phase-II, Wastewater Treatment Plant, New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	Number of trees to be			Compensatory Plantation by User Agency (Number of trees)
	Felling	Transplantation	Total	
(1)	(2)			(3)
Rehabilitation and Up-gradation of Rithala Phase-II, Wastewater Treatment Plant, New Delhi.	5	905	910	9100
Total	5	905	910	9100

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

1. Delhi Jal Board, herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs. 5,18,70,000 /- (Rupees Five Crore Eighteen Lakh Seventy Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

S.No.	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for felling/ transplanting of 910 trees i.e number of tree saplings proposed to be planted of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, Desi Kikkar and Arjun. alongwith other native species shall be carried out by User Agency at proposed project site i.e. Bawana WTP Booster Pumping Station, UGR, Sector-23, Rohini, STP Sector-23, Rohini, Delhi.	9100	5,18,70,000 /-	Deputy Conservator of Forests (West)/ Tree Officer
(b)	Transplantation of 905 no. of trees which are standing on site shall be done by User Agency in the location as mentioned above.			

2. 100% Compensatory Plantation of 9100 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) & (b) above.
3. Plants of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of felling/ transplantation of 910 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance shall be carried out there after by User Agency with their own funds.
4. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
5. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of State Government.
6. Transplantation of trees shall be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than three months, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.
7. Permission for felling/ transplantation of all tress is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.
8. Before the felling/ transplantation of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.
9. Felling/ transplantation of any trees apart from 910 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act, 1994.
10. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.
11. The lops and tops of the trees shall be sent/ supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (West) by User Agency.
12. Before shifting of timber, if any**,** from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (West) by User Agency.
13. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance, if any obtained, shall be followed scrupulously.
14. The completion report of compensatory plantation of 880 nos. of tree saplings done in lieu of the previously granted permission for removal of 88 nos. at the same site for DJB project shall be submitted to Tree Officer (West).
15. Handing over of land in STP, Rithala area for carrying out the plantation of 500 nos. tree saplings against the diversion of land under Forest Conservation Act (FCA), 1980 in Mayapuri Green Belt, Delhi.
16. Progress report of transplantation shall be submitted to Tree Officer by User Agency through inspection officer concerned along with complete details of trees.
17. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.

By Order and in the Name of the
Government of National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.01.21 17:05:54 +05'30'